Title: Need to amend the relevant provision of the Constitution to provide benefits of promotion and seniority to people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं सदन का ध्यान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कामिकों को पदोन्नति के साथ परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिए जाने की ओर आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिनांक 16.11.1992 तक सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को राजकीय सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाता रहा है।

इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की नौ जज की संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय संवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा। भारत सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए 77वें संविधान संशोधन की दो जज पीठ ने दिनांक 10.10.1995 से जोड़ा।

उच्चतम न्यायालय की दो जज पीठ ने दिनांक 10.10.1995 को वीरपाल सिंह चौहान प्रकरण में तीन जजों की पीठ ने दिनांक 01.03.1996 को व पांच जजों की पीठ ने दिनांक 16.09.1999 को सामान्य वर्ग के राजकीय कार्मिकों को वरिष्ठता में "रिगैनिंग " का लाभ देते हुए "कैच अप रूल " प्रतिस्थापित किया जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राजकीय कार्मिकों को पदोन्नति तो मिलेगी लेकिन पदोन्नति के साथ परिमाणिक वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। इस विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 85वें संविधन संशोधन को दिनांक 17.06.1995 से लागू किया।

उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ के समक्ष 77वें व 85वें संविधान संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय को दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज प्रकरण के नाम से अपना निर्णय दिया। जिसमें इन संवैधानिक संशोधनों को सही तो करार द या परन्तु कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो इस हेतु उन्हें इन वर्गों में सामाजिक पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सरकार के काम की दक्षता पर प्रभाव के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर आधार तैयार करना होगा। इन शर्तों के कारण वर्ष 1995 से अब तक इन वर्गों के लोगों को पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इन वर्गों में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाने के कारण निराशा का भाव व्याप्त हो रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा एम. नागराज के निर्णय का सहारा लेकर विपरीत निर्णय दिए हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजकीय कार्मिकों को पदोन्नति के साथ पारिमाणिक वरिष्ठता का लाभ मिल सके इस हेतु तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन की सरकार पहल करे।